

# जनता की मांगे

संसदीय आम चुनाव 2024



Maharashtra  
Democratic  
Forum



महाराष्ट्र डेमोक्रेटिक फोरम (एम डी एफ)

# जनता की मांगे

संसदीय आम चुनाव 2024

जारीकर्ता:



संसदीय आम चुनाव के लिए

# जनता की मांगें

हमारा दृष्टिकोण एक ऐसे समाज का है जहां प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पृष्ठभूमि या परिस्थितियों की परवाह किए बिना आगे बढ़ने का अवसर मिले। हम एक ऐसा भविष्य बनाने में विश्वास करते हैं जहां गरीबी, असमानता और भेदभाव को सीधे संबोधित किया जाए, और जहां प्रत्येक नागरिक को जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंच प्राप्त हो। हमारी मांगें इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने के उद्देश्य से नीतियों और पहलों के एक व्यापक सेट की रूपरेखा तैयार करती हैं:

## 1. गरीबी और असमानता:

- ▲ शिक्षा, कौशल विकास और आजीविका सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए लक्षित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम लागू करें।
- ▲ न्यूनतम वेतन बढ़ाएं और असंगठित क्षेत्र सहित सभी श्रमिकों के लिए उचित वेतन सुनिश्चित करें।
- ▲ गरीबी और असमानता को दूर करने के लिए सरकारी अधिकारियों को जवाबदेह बनाएं।



- ▲ सुनिश्चित करें कि आर्थिक विकास से समाज के सभी वर्गों को लाभ हो, न कि केवल अमीरों को।
- ▲ धार्मिक, जाति और लिंग भेदभाव को संबोधित करने वाली और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाने वाली नीतियां लागू करें।

## 2. भोजन तक पहुंच:

- ▲ भूख और खाद्य असुरक्षा को मिटाने के लिए खाद्य सुरक्षा उपायों को मजबूत करें।
- ▲ वेस्टिंग पर ध्यान देने के साथ बाल कुपोषण दर को संबोधित करने के लिए पोषण कार्यक्रमों में सुधार करें।
- ▲ सभी नागरिकों के लिए पौष्टिक भोजन तक निरंतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए खाद्य वितरण प्रणालियों को बढ़ाएं।

## 3. स्वास्थ्य देखभाल:

- ▲ बुनियादी ढांचे, आपूर्ति और स्वच्छता मानकों में सुधार के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में निवेश करें।
- ▲ ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों सहित सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा को किफायती और सुलभ बनाने के उपाय लागू करें।
- ▲ भर्ती और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ाकर स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की कमी को दूर करें।

## 4. शिक्षा:

- ▲ यह सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा प्रणाली में सुधार करें कि सभी बच्चे पढ़ने, लिखने और गणित में मूलभूत कौशल हासिल करें।
- ▲ हमारा दृढ़ विश्वास है कि प्रत्येक बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का हकदार है, चाहे उनकी



पृष्ठभूमि या सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो।

- ▲ एक ऐसा कानून बनाएं जो भारत में सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अधिकार की गारंटी दे।
- ▲ शिक्षा का अधिकार कवरेज मौजूदा 14 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष की आयु तक करें।
- ▲ सभी छात्रों के लिए सीखने के परिणामों में सुधार लाने पर ध्यान देने के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में निवेश बढ़ाएँ।

## 5. बेरोजगारी और असंगठित श्रमिक:

- ▲ कौशल विकास कार्यक्रमों और प्रमुख क्षेत्रों में निवेश के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करें।
- ▲ असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करें और मौजूदा योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाएं।
- ▲ पात्र श्रमिकों के लिए समय पर सहायता सुनिश्चित करने के लिए लाभ वितरण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करें और नौकरशाही बाधाओं को कम करें।

## 6. जनजातीय समुदाय:

- ▲ जनजातीय समुदायों को प्रभावित करने वाली सामाजिक-आर्थिक असमानताओं और विस्थापन के मुद्दों का समाधान करना।
- ▲ जनजातीय आबादी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार।
- ▲ आदिवासी समुदायों के खिलाफ शोषण और भेदभाव को रोकने के उपाय लागू करें।



- ▲ कॉरपोरेट कंपनियों को बेचने के लिए आदिवासियों की जमीन और जंगलों को हड़पकर उनके आवासों को नष्ट करना बंद करें।
- ▲ -नक्सलवाद के नाम पर आदिवासियों को मारना बंद करें।
- ▲ संघर्षग्रस्त मणिपुर में पूर्ण शांति बहाल करें और दोषियों को सजा दें।

## 7. किसान:

- ▲ कर्ज के बोझ से राहत प्रदान करें और बेहतर एमएसपी कवरेज के माध्यम से उचित बाजार मूल्य सुनिश्चित करें।
- ▲ खरीद प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करें और फसल बीमा योजनाओं में दावा निपटान मुद्दों का समाधान करें।
- ▲ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों और कृषि प्रौद्योगिकी तक पहुंच के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाना।

## 8. सहभागी लोकतंत्र:

- ▲ शहरी स्थानीय शासन में नागरिकों की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए नगर राज विधेयक लागू करें।
- ▲ ग्राम पंचायतों को प्रभावित करने वाले सामाजिक पूर्वाग्रहों को दूर करना और शिकायत तंत्र को मजबूत करना।
- ▲ स्थानीय शासन संस्थानों में जनता का विश्वास बहाल करने के लिए भ्रष्टाचार और राजनीतिक हस्तक्षेप का मुकाबला करें।



## 9. सुशासन लागू करके सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करें।

- ▲ पारदर्शिता: सभी सरकारी कार्यों और निर्णयों को जनता के सामने स्पष्ट और खुले तौर पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- ▲ जवाबदेही: सरकार को अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए।
- ▲ कानून का शासन: कानून सरकारी अधिकारियों सहित सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए।
- ▲ सार्वजनिक भागीदारी: जनता को सरकार की निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए।
- ▲ ईडी, सीबीआई आदि जैसी एजेंसियों को स्वतंत्र रूप से और सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी के प्रभाव से मुक्त होकर काम करना चाहिए।
- ▲ पुलिस कमीशन और गैर सरकारी संगठनों द्वारा पुलिस सुधार के लिए दिए गए सुझाव लागू करें।

## 10. अल्पसंख्यक मुद्दे:

- ▲ अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुस्लिम और ईसाई समुदायों के खिलाफ नफरत भरे भाषणों और हिंसा का मुकाबला करें, सभी नागरिकों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करें।
- ▲ मुसलमानों के लिए शिक्षा, रोजगार के अवसरों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में असमानताओं को दूर करना।
- ▲ मुसलमानों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान में सहायता के लिए कल्याणकारी योजनाएं और छात्रवृत्तियां लागू करें।



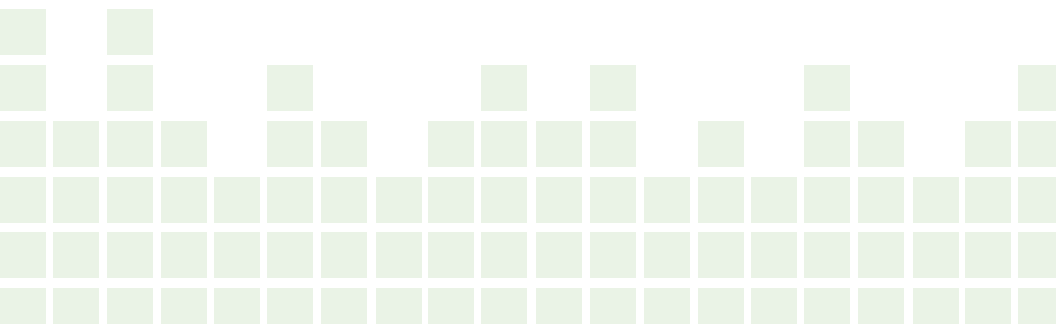
- सरकारी नौकरियों और सत्ता के पदों पर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें।
- सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा दें और उन आख्यानो को संबोधित करें जो मुस्लिम और ईसाई समुदायों को हाशिए पर या अलग-थलग करने की कोशिश करते हैं।
- संवैधानिक सुरक्षा उपाय प्रदान करें और अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचारों को रोकने के लिए एससी और एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की तर्ज पर एक अधिनियम बनाएं।
- जिन घरों, दुकानों, पूजा स्थलों में तोड़फोड़ की गई और बुलडोजर चलाया गया, उनके लिए मुआवजा दिया जाए।
- झूठे मामलों में मनमाने ढंग से गिरफ्तार और जेल भेजे गए सभी निर्दोष लोगों को रिहा करें और मुआवजा दें
- राजनीतिक लाभ के लिए मुसलमानों के खिलाफ इतिहास और झूठे आख्यानो का हथियारीकरण बंद करें
- UAPA जैसे कूर कानून रद्द करें
- अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों के खिलाफ अत्याचार और अपराध करने वालों को गिरफ्तार करना और दंडित करना, चाहे वे आम जनता, राजनेता, पुलिस, प्रशासन और मंत्री हों।
- मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ बनाए गए कानूनों को वापस लें।
- सीएए, एनआरसी, एनआरपी एक्ट को खत्म करें



## 11. इबादतगाहों का क़ानून १९९१ शब्दों और उनकी आत्मा के साथ लागू किया जाए

- हाल के दिनों में देखा गया है कि कई मुस्लिम पूजा स्थलों पर हिंदू मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। हमारी मांग है कि इस प्रवृत्ति को प्रशासन और न्यायपालिका द्वारा खारिज किया जाना चाहिए।' इसके बजाय पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 को अक्षरशः लागू किया जाना चाहिए, जो 15 अगस्त, 1947 को मौजूद धार्मिक स्थलों की स्थिति को स्थिर करने के लिए अधिनियमित किया गया था, और किसी भी पूजा स्थल के रूपांतरण पर रोक लगाता है। पूर्ण या आंशिक रूप से, एक धार्मिक संप्रदाय से दूसरे या एक ही संप्रदाय के भीतर और उनके धार्मिक चरित्र के रखरखाव को सुनिश्चित करता है। लंबित मामलों के उन्मूलन (धारा 4(2)) के तहत अधिनियम घोषित करता है कि 15 अगस्त, 1947 से पहले पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र के परिवर्तन के संबंध में चल रही कोई भी कानूनी कार्यवाही समाप्त कर दी जाएगी, और कोई नया मामला शुरू नहीं किया जा सकता है।

ये मांगें एक अधिक समावेशी, न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करती हैं। हम सभी नागरिकों से इन नीतियों का समर्थन करने और हमारे राष्ट्र के लिए एक उज्ज्वल भविष्य को आकार देने में हमारे साथ शामिल होने का आग्रह करते हैं। साथ मिलकर, हम सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर कल सुनिश्चित कर सकते हैं।



# जनता की मांगे

संसदीय आम चुनाव 2024



**Maharashtra**  
**Democratic**  
**Forum**